न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 05/2024 एलआर एक्ट GCMS No. 2024/129

1. सुशीला देवी आयु 83 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल कल्ला, निवासी लालबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर।
2. राजकुमार, आयु 63 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल कल्ला, निवासी लालीबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बारह, बीकानेर।
3. इन्द्रकुमार, आयुट 57 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल कल्ला, निवासी लालीबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर।
4. किशन कुमार, आयु 54 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल कल्ला, निवासी लालीबाई बगेची के पास, नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर।
3. डां. तनवीर मालावत पुत्र श्री रसूल खां मालावत, निवासी दीनदयाल सर्किल के पास, बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री भारत रतन व्यास — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 3

निर्णय

दिनांक 19.03.2026

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अन्तर्गत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 20.04.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रिडमलसर पुरोहितान तहसील एव एवं जिला बीकानेर में के खेत खसरा नंबर 62/19 में तादादी 406 बीघा खाम स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के अपीलांट्स एवं अन्य सह खातेदारों/काश्तकारों की संयुक्त व अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमें अपीलांट्स को विरास्तन अविभाजित हिस्सा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्राप्त है। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में उक्त अविभाजित भूमि खसरा नंबर 62/19 की 406 बीघा भूमि में भू–रूपांतकरण का आदेश दिनांक 20.04.2023 जारी कर दिया। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 20.04.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत कृषि भूमि के अपीलांट्स एवं अन्य सह खातेदारों/काश्तकारों की संयुक्त व अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमें अपीलांट्स को विरास्तन अविभाजित हिस्सा प्राप्त है। उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर के यहां दिनांक 20.07.2009 को घोषणात्मक, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अनवानी सुशीला आदि बनाम मोहनलाल आदि प्रस्तुत किया गया, जो मुल दावा मुकदमा नंबर 535/2010 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नंबर 499/2010 है। जो विचारारधीन हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के विभाजन हेतु भी संस्थित किया हुआ है, जिसमें अपीलांट्स पृथक एवं स्वतंत्र का हिस्सा तय होना है तथा वाद की विषय वस्तु में अपीलाट्स का हिस्सा तय हो कर अंतिम डिक्री के रूप में तय मे होना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने इस बाबात वादगत खसरा नंबर 62/19 की 406 बीघा भूमि में से विशेष भूमि का भू–रूपांतरण का आदेश दिनांक 20.04.2003 को पारित कर दिया तथा उक्त आदेश संयुक्त भूमि में से केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की अपीलांट्स के साथ संयुक्त व अविभाजित भूमि मे से कुल 89 बीघा 13 बिस्वा की भूमि के बाबत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा जो भूमि खरीद की गई थी वह संयुक्त व अविभाजित थी तथा किसी भी प्रकार से कोई विभाजन मौके पर नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही अपीलांट्स को सुने बिना एकतरफा तौर पर की गई है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा आदेश दिनांक 20.04.2023 व उक्त आदेश से संबंधित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रदान करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बार–बार निवेदन किया, जो कि आज तक विचाराधीन चल रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांट के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति करीब डेढ वर्ष पश्चात भी आज दिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है। अपील के साथ अपीलाधीन आदेश के प्रमाणित प्रति आज्ञापक रूप से प्रस्तुत किया जाने का प्रावधान कानून में है। जिसकी पालना अपीलांट द्वारा नही की गई है, इसलिए अपील इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में नजीर आरआरडी 1999 पेज 457 एवं आरआरडी 1988 पेज 124 प्रस्तुत है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश 20.04.2023 का बताया है, अधिनियम मे दी गई मियाद अवधि से बाहर बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की गई है, इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही थी, यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दैनिक समाचार पत्र तथा सार्वजनिक स्थानों पर आपतियों आमत्रित करते हुए पारित किया गया है। तथ्समय अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गई। साथ ही अपीलांट का धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में यह अंकित करना की मियाद अवधि प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से होती है, कतई गलत है, मियाद की अवधि कानूनन जानकारी के दिन से आरंभ होती है। इस प्रकार मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र कतई कानून के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में नजीर आरआरडी 1990 पेज 20 प्रस्तुत है। अपील अपीलांट का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर के यहां घोषणात्मक विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन है, जो जिस उदेश्य से लिखा गया है, अस्वीकार हैं। अपील में अंकित तथ्य है कि एफआईआर संख्या 355 दिनांक 22.07.2024 विचाराधीन होना अंकित किया है, वास्तविक तथ्य है कि उक्त एफआईआर को निरस्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट विचाराधीन हैं। अपील मीमों के पैरा संख्या 5 का कथन है कि भूमि अविभजित है, कतई गलत कथन है। इस संबंध में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर के द्वारा दिनांक 17.09.1971 से खाता को अलग अलग कर दिया है जिसका नामातरकरण संख्या 161 03.02.1975 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुका हैं। जिसके आधार पर अधिकतम भूमि हिस्सेदार मोहनलाल, गोरधनदास कल्ला के हिस्से पांती की भूमियों में भी रूपांतरण करवाया जाकर गैर कृषि कार्य के रूप में आज भी उपयोग में ली जा रही है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस प्रकार उपरोक्त अनुवानी अपील केवल तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त अनुवानी अपील अस्वीकार कर निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर के आदेश दिनांक 20.04.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है परन्तु अपील अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति करीब डेढ वर्ष पश्चात की आज दिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है। कानून के प्रावधानों के अनुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांट समुचित अवसर देने के पश्चात भी अपील अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की है। जो कानून के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य अपील अपीलांट तकनीकी आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर